

प्ररूप 2ड.  
(नियम 4 देखिए)  
नामनिर्देशन-पत्र

8  
2:30 PM

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन

पूरे चेहरे को सामने से	
उपव	श्वेत/
श्वेत	में (2
सेमी	स्टांप
आव	फोटो
चस्पा करें।	



भाग-1

हम उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद् के निर्वाचन के लिए गोरखपुर फेजाबाद खंड जनातक निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम निर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम सुव्रत त्रिपाठी (पिता/माता/पत्नी का नाम) राजेश्वरी त्रिपाठी उसका डाक पता 31219 विशाल खंड जेम्ही नगर उसका नाम एम लखन उमध्य विधानसभा/निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 320 में क्रम सं० 262 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम गोरखपुर फेजाबाद खंड जनातक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और इस नाम निर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

17.11.17 - 12:15 PM  
AA and BB दिपा  
24  
ARW



**प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर**

क्रम सं०	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली सं०		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचक नामावली की भाग सं०	उस भाग में क्रम सं०			
1	2	3	4	5	6
1.	230	544	लालजी औसा	लालजी औसा	16.1.17
2.	230	1205	सुरेंद्र पाण्डेय	सुरेंद्र पाण्डेय	16.1.17
3.	230	174	जय प्रतार	जय प्रतार	16.1.17
4.	230	318	बालकृष्ण मणि	बालकृष्ण मणि	16.1.17
5.	230	275	पट्ट	पट्ट	16.1.17
6.	230	464	राजेंद्र पांडेय	राजेंद्र पांडेय	16.1.17
7.	230	189	दुर्गा कुमार औसा	दुर्गा कुमार औसा	16.1.17
8.	230	34	मा. आलम अंसारी	मा. आलम अंसारी	16.1.17
9.	230	31	अशुप औसा	अशुप औसा	16.1.17
*10.	230	281	प्रद्विप कुमार कथार	प्रद्विप कुमार कथार	16.1.17

प्रस्थापक निर्वाचन-क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हों, होने चाहिए।

मैं, ऊपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूं और घोषणा करता/करती हूं कि :-

(क) मैं भारत का नागरिक हूं और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;

(ख) मैंने 61 वर्ष की आयु पूरी कर ली है :

(ग) मैं इस निर्वाचन में सुवर्त विपारी दल द्वारा खड़ा किया गया हूं/खड़ी की गई हूं;

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है:और

(ड.) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं गोरखपुर केजाबापुर्वकसुलातक परिषद निर्वाचन-क्षेत्र से उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद के रिक्त स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं और निरर्हित नहीं हूं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिए किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया हूं और न ही किया जाऊंगा।

तारीख 16-01-17

सुवर्त विपारी  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

\*जो लागू न हो, उसे काट दें।



भाग 2

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को -

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की--

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए :या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है :या

नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके)

लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

नहीं

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक .....

(ii) पुलिस थाना (थाने) ..... जिला (जिले) ..... राज्य .....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था .....

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें) .....

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था .....

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें .....

(vii) कारागार से निमुक्ति की तारीख (तारीखें) .....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे: हां/नहीं नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां एवं तारीख .....

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे .....

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या यह/वे लंबित है .....

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) .....

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) .....

स्थान : गोरखपुर

तारीख : 16-01-17

सुव्रत बिपार्थ  
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर



भाग 3

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं० ..... ०९ .....

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में ..... 16-1-17 ..... (तारीख) को 2:30 P.M. (बजे)  
अभ्यर्थी/प्रस्थापक सुवर्ण बिपारी (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख ..... 16.1.17 .....

रिटर्निंग आफिसर


भाग 4

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और  
मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ: नामनिर्देशन पत्र यूनिट Form AA का क्र. 58 कल 17/1/17

21 12:15 PM (समय) 340000 रु। इस नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत किया गया है।  
तारीख ..... 10/1/17 .....

रिटर्निंग आफिसर





सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

मैं अपना नाम निम्न प्रकार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में हिन्दी तथा अंग्रेजी में लिखवाना चाहता हूँ।

अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में

हिन्दी के स्पष्ट अक्षरों में

Suvrat Tripathi

सुव्रत त्रिपाठी

स्थान : गोरखपुर

दिनांक : 16-01-17

सुव्रत त्रिपाठी  
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

मैं अपना नाम निम्न प्रकार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में हिन्दी तथा अंग्रेजी में लिखवाना चाहता हूँ।

अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हिन्दी के स्पष्ट अक्षरों में

Suvrat Tripathi

सुव्रत त्रिपाठी

स्थान : गोरखपुर

दिनांक : 16-01-17

सुव्रत त्रिपाठी  
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर



अनुलग्नक - दस  
(अध्याय-5 पैरा 21(2))

## शपथ या प्रतिज्ञान का फार्म

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173(क))

मैं..... सुव्रत त्रिपाठी ..... जो विधान परिषद में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूंगा।

सुव्रत त्रिपाठी  
सुव्रत त्रिपाठी  
(उम्मीदवार के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में नाम

श्री/श्रीमती सुव्रत त्रिपाठी ..... ने आज दिनांक 16-1-17  
(माह) जनवरी 2017 को ध्यातुल ग्यागलान बुझा  
(स्थान) पर 2:40 P.M. बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम पदनाम और मुहर)

कार्यालय में परिदत्त की गई।

रिटनिंग आफिसर

\* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए -

- (1) .....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
- (2) .....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
- (3) .....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (4) .....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
- (6) .....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए-

- (1) अभ्यर्थी।
- (2) अभ्यर्थी का प्रस्थापक जिसे अभ्यर्थी ने इसे परिदत्त करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया है।
- (3) अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता जिसे अभ्यर्थी ने इसे परिदत्त करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया है।



प्ररूप 8

(नियम 12(1) देखिए)

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

..... \*के लिए निर्वाचन

प्रेषिती

रिटर्निंग आफिसर,

मैं.....जो.....का हूं और ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, एतद्द्वारा .....  
.....कल.....को ऊपरवर्णित निर्वाचन में आज से अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता हूं।

स्थान .....

तारीख.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं ऊपरवर्णित नियुक्ति को प्रतिगृहीत करता हूं।

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान.....

<sup>1</sup>अनुमोदित

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर और मुद्रा

\* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए -

- (1) .....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
- (2) .....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
- (3) .....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (4) .....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (5) .....विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
- (6).....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।



अभ्यर्थी का नाम	1	
नाम पर व पता जिसकी ओर से	2	
जमा किये जाने का उद्देश्य	3	गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के सम्बन्ध में जमानत की धनराशि
धनराशि	4	
लेखाशीर्षक	5	8443- सिविल जमा-121-निर्वाचनों के संबंध में जमा-1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मण्डलों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गई धनराशि
बैंक के लिए	6	

**ट्रेजरी - चालान**

संख्या..... ट्रेजरी/स्टेट बैंक का नाम.....



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 9

(नियम 12(2) देखिए)

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

..... \*के लिए निर्वाचन

प्रेषिती-

रिटर्निंग आफिसर,

मैं.....जो ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, एतद्द्वारा अपने निर्वाचन अभिकर्ता, .....  
की नियुक्ति प्रतिसंहरण करता हूं।

स्थान.....

तारीख.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

---

\* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए -

- (1) .....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
- (2) .....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
- (3) .....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (4) .....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
- (6).....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।



## निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 10

(नियम 13(2) देखिए)

**\*\*मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति**

..... **\*\*के लिए निर्वाचन**

मैं.....जो ऊपरवर्णित निर्वाचन में †अभ्यर्थी हूँ/.....का, जो ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी है, निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, एतद्द्वारा.....(.....(नाम और पता) को).....में.....(संख्यांक वाले †मतदान केन्द्र में/मतदान के लिए नियत स्थान .....में हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान.....

तारीख.....

†अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान.....

तारीख.....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

**पीठासीन आफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा**

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपरवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 द्वारा, \*जो मैंने पढ़ ली है/जो मुझे पढ़ कर सुना दी गई है, निषिद्ध कोई बात न करूंगा।

तारीख.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख.....

पीठासीन आफिसर

\*मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए नियत स्थान में पेश किए जाने के लिए मतदान अभिकर्ता को दे दिया जाए।

\*\* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए -

- (1) .....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
- (2) .....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
- (3) .....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (4) .....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
- (6).....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

†जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिए।

††लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128-

“128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना-(1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।”



**निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961**  
**(कानूनी नियम और आदेश)**  
**प्ररूप 11**  
**(नियम 14(1) देखिए)**  
**मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण**  
**..... \*के लिए निर्वाचन**

प्रेषिती-

रिटर्निंग आफिसर,

मैं.....जो ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी (.....का निर्वाचन अभिकर्ता) अपने/उसके मतदान अभिकर्ता.....को नियुक्ति एतद्द्वारा प्रतिसंहृत करता हूँ।

स्थान.....

तारीख.....

प्रतिसंहरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

\* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए -

- (1) .....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
- (2) .....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
- (3) .....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (4) .....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
- (6).....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

विशेष टिप्पण-( ) से चिन्हित शब्द, यदि उन्हें छोड़ देना आवश्यक हो तो, छोड़ दीजिए।

**प्ररूप 12**  
**(नियम 19 और 20 देखिए)**  
**रिटर्निंग आफिसर को प्रज्ञापना पत्र**

प्रेषिती-

.....सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए

रिटर्निंग आफिसर

महोदय,

विधान सभा

मैं.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से.....के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत डाक द्वारा देना चाहता हूँ।

मेरा नाम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र.....में समाविष्ट.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामवली के भाग सं0.....में क्रम सं0.....पर प्रविष्ट है।

मुझे मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजा जाए -

.....  
.....  
.....

स्थान.....

तारीख.....

भवदीय,

.....



अनुबंध-Vड.

रिटर्निंग आफिसर का कार्यालय

.....परिषद निर्वाचन क्षेत्र से .....की विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य सभा/.....की विधान परिषद के लिए निर्वाचन

ज्ञापन सं. ....

सेवा में,

.....

आपको सूचित किया जाता है कि आपने संविधान के अनुच्छेद 84(क)/अनुच्छेद 173(क) द्वारा यथापेक्षित शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है और उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह नामनिर्देशन के लिए निर्धारित तारीख से पूर्व किसी दिवस को मेरे समक्ष या इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष किया जा सकेगा।

तारीख.....

तारीख.....

अभ्यर्थी का नाम

हस्ताक्षर

रिटर्निंग आफिसर

.....परिषद निर्वाचन क्षेत्र से.....की विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य सभा/.....की विधान परिषद के लिए निर्वाचन हेतु रिटर्निंग आफिसर से तारीख.....ज्ञापन सं.....प्राप्त हुआ।

स्थान.....

तारीख.....

अभ्यर्थी या प्रस्तावक

के हस्ताक्षर



रिटर्निंग आफिसर का कार्यालय

.....परिषद निर्वाचन क्षेत्र से.....विधान परिषद के लिए निर्वाचन

ज्ञापन सं.....

तारीख:.....

सेवा में,

.....(अभ्यर्थी का नाम),

आपने अपने नामनिर्देशन पत्र में उल्लेख किया है कि आप.....विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक हैं किन्तु आपने उसका दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबंध में , आपका ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 की उप-धारा(5) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

“जहां अभ्यर्थी भिन्न निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक है वहां उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली या उसके सुसंगत भाग की प्रति या ऐसी नामावलियों में सुसंगत प्रविष्टियों का प्रमाणित प्रति, जब तक कि इसे नामनिर्देशन पत्र के साथ दाखिल नहीं किया गया है, समीक्षा के समय रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर

आज.....परिषद निर्वाचन क्षेत्र से.....की विधान परिषद के लिए निर्वाचन हेतु रिटर्निंग आफिसर से

तारीख.....को ज्ञापन सं.....प्राप्त हुआ।

स्थान.....

अभ्यर्थी या प्रस्तावक का नाम

तारीख.....





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सम्बन्ध :-

11AD 563982

निर्वाचन अधिकारी  
गोरखपुर जेजाबाद खण्ड स्नातक क्षेत्र  
विधान परिषद्, उ.प्र.

संलग्न :- प्ररूप 26

*JN*  
Jitendra Nath Tripathi  
NOTARY  
Distt. Court. Gkp  
15-117



शपथ कर्ता  
सुप्रत त्रिपाठी  
सुप्रत त्रिपाठी



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

जोखपुर जेजाबाद खोस एनातक (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) विधान क्षेत्र (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र



भाग-अ

मैं, सुब्रत त्रिपाठी \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी राजेश्वरी त्रिपाठी आयु 61 वर्ष, जो 22.07.1954 का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :--

(1) मैं एक अभ्यर्थी हूँ जिसे मनुष्यी पति (\*\*राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया है/निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ।

(\*जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम जोखपुर जेजाबाद खोस एनातक उत्तर प्रदेश 230 (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम), में क्रम सं. 604 पर, भाग सं. 230 में प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 9519259127 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं और लागू नहीं ई-मेल पता (यदि कोई हो) हैं।

(4) स्थायी खाता संख्या (पेन) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिती

क्रम सं.	नाम	पी ए एन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	आय-कर विवरणी में दर्शाई गई कुल आय (रूपये में)
1.	स्वयं सुब्रत त्रिपाठी	ALNPT5127A	2016-17	2933248
2.	पति/पत्नी गोरजा त्रिपाठी	ASSPT01087	कड़ नहीं	कड़ नहीं
3.	आश्रित-1 कड़ नहीं	कड़ नहीं	कड़ नहीं	कड़ नहीं
4.	आश्रित-2 कड़ नहीं	कड़ नहीं	कड़ नहीं	कड़ नहीं
5.	आश्रित-3 कड़ नहीं	कड़ नहीं	कड़ नहीं	कड़ नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

(i) मेरे विरुद्ध ऐसे लंबित मामले जिसमें न्यायालय ने दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित किए हैं, निम्नलिखित है :--

(क)	संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	लागू नहीं

सुब्रत त्रिपाठी



**निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961**  
**(कानूनी नियम और आदेश)**

(घ)	न्यायालय जिसने आरोप विरचित किए हैं	लाए गये
(ड.)	तारीख जिस पर आरोप विरचित किए गए	लाए गये
(च)	क्या सभी या किसी कार्रवाई पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।	लाए गये

(ii) निम्नलिखित मामले मेरे विरुद्ध लंबित हैं, जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है ऊपर मद (ट) में लिखित मामलों के अलावा :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख :	लाए गये
(ख)	मामलों का ब्यौरा जिनमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, अधिनियमों की धाराओं और अपराधों का विवरण जिनमें संज्ञान लिया गया	लाए गये
(ग)	उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपील, पुनरीक्षण के लिए आवेदन (आवेदनों (यदि कोई हैं), के ब्यौरे	लाए गये

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न किसी अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया या दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :  
निम्नलिखित मामलों में, मुझे न्यायालय द्वारा सिद्धदोष और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(क)	संबंधित मामलों के अधिनियम (अधिनियमों), धारा (धाराओं) का ब्यौरा और अपराधों का वर्णन जिनके लिए सिद्धदोष किया गया	लाए गये
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला सं. और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लाए गये
(ग)	अधिरोपित दंड	लाए गये
(घ)	क्या सिद्धदोष आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील का ब्यौरा और उसकी वर्तमान प्रायस्थिति :	लाए गये

(7) यह कि मैं, अपनी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों (स्थाई और अस्थाई आदि) का ब्यौरा यहां नीचे देता हूं :


**कॉ. A जंगम संपत्तियों का ब्यौरा :**

**टिप्पण 1:** संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार का भी उपदर्शित किया जाना है।

**टिप्पण 2:** निक्षेप/विनिधान की दशा में, क्रम सं., रकम, निक्षेप की तारीख, स्कीम, बैंक/ संस्थान और शाखा के नाम सहित ब्यौरा दिया जाना है।

**टिप्पण 3:** वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की बाबत स्टॉक एक्सचेंज में और असूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिबेंचर का मूल्य।

**टिप्पण 4:** आश्रित का वही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के स्पष्टीकरण (V) में उसका है।



**Jitendra Nath Tripathi**  
**NOTARY**  
District Court, Gkn  
15-1-17

मुद्रित त्रिपाठी



**निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961**  
**(कानूनी नियम और आदेश)**

**टिप्पण 5:** प्रत्येक विनिधान की बाबत सहित रकम ब्यौरे पृथक् रूप से दिया जाना है।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम	
(i)	हाथ में रोकड़	2 लाख	1 लाख	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
(ii)	बैंक खातों में निक्षेप के ब्यौरे (एफडीआर, अवधि निक्षेप और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार के निक्षेप), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों में निक्षेप और ऐसे प्रत्येक निक्षेप की रकम	आई.सी.आई.सी. 1 लाख कुछ नहीं एस.बी.आई. 4209743 ओ.बी.बी. 465167	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों और कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के ब्यौरे और रकम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(iv)	एनएसएस, डाकीय बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक विभाग व बीमा कंपनी के किसी वित्तीय लिखत में विनिधान और रकम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(v)	या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति अस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियां और रकम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(vi)	मोटर यान/वायुयान/नाव/जहाज (निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का ब्यौरा खरीद के वर्ष और रकम)	स्वीफ्ट एजेंसी 8 लाख 2016	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(vii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान चीजें (भार और मूल्य के ब्यौरे)	100 ग्राम सेक 3 लाख	200 ग्राम जेवरात 6 लाख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे दावे का मूल्य/ब्याज	रिवाज/सिद्धांत कुछ नहीं 2 लाख	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ix)	सकल कुल मूल्य	6354910/-	700000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

**ख. स्थावर अस्तियों के ब्यौरे :**

**टिप्पण 1:** संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना करें।

**टिप्पण 2:** इस रूपविधान में प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए।

*Atendra Nath Tripathi*  
**NOTARY**  
District Court, Gkn

15-1-17

*सुव्रत बिपाठी*



**निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961**  
**(कानूनी नियम और आदेश)**

क्र0 सं0	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम
(i)	कृषि भूमि का/के स्थान, सर्वेक्षण संख्यांक	लखनपुर, देवापुर गोरखपुर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	17 एकड़	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नाम नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	25 करोड़	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि: स्थान	लखनपुर गोरखपुर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सर्वेक्षण संख्यांक					
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	5000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	25 लाख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) -स्थान		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सर्वेक्षण संख्यांक					
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**NOTARY**  
CHANDRA NATH TRIPATHI  
NOTARY  
15-1-17

सुव्रत त्रिपाठी



**निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961**  
**(कानूनी नियम और आदेश)**

(iv)	आवासिक भवन (अपार्टमेंट सहित) -स्थान -सर्वेक्षण संख्यांक	गोमती नगर लखनऊ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	3600	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	3000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	80 हजार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	25/11/19	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	1 करोड़	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	अन्य (जैसे संपत्ति में हित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	ऊपर (i) से (V) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	3 करोड़ 75 लाख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

8 मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के ब्यौरों नीचे देता हूँ-

**टिप्पण :** कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यक्ति के नाम और रकम के अलग-अलग ब्यौरों दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देय, बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम ऋण का प्रकार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	ऊपर उल्लिखित से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति/अस्तित्व के ऋण या देय नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	सरकार के देय :					
	सरकारी वास-सुविधा से संबंधित विभाग को देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	जल प्रदाय से संबंधित विभाग को देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विद्युत प्रदाय से संबंधित विभाग को देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	टेलीफोनों/मोबाईलों की पूर्ति से संबंधित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**Jitendra Nath Tripathi**  
**NOTARY**  
District Court, Gkn

15-117

सुव्रत त्रिपाठी



**निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961**  
(कानूनी नियम और आदेश)

विभाग को देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को देय (वायुयानों और हेलीकाप्टरों सहित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
आय-कर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संपत्ति कर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सेवा कर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
नगरपालिका/संपत्ति कर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
बिक्री कर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कोई अन्य देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii) सरकार के सभी देयों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवाद-ग्रस्त है यदि है तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसके समक्ष यह लंबित है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं.....व्यवसायिक एवं सेवानिवृत्त पेशेवर  
(ख) पति/पत्नी.....नहीं

10. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

बी. ए. एल. एल. बी. 1976 इण्डिया का विद्यार्थी

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें, विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरे दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)

**भाग ख**

(11) भाग (क) के (1) से (10) में दिए गए ब्यौरों का सार :

1.	अभ्यर्थी का नाम	<u>सुब्रत लिपाठी</u>
2.	खड़ा का पूरा पता	<u>डू 279 विशाल खोड गौमती नगर लखी</u>
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>गोरखपुर फेजलपुर एंड एन</u>
4.	राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा निर्दलीय लिखें)	<u>मनुवादी पार्टी</u>
5.	(i) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय द्वारा दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए हैं	<u>लागू नहीं</u>
	(ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय/न्यायालयों ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	<u>लागू नहीं</u>
6.	उन मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय)	<u>लागू नहीं</u>

Sik  
**Harendra Nath Tripathi**  
**NOTARY**  
District Court, Gh

15-1-77

सुब्रत लिपाठी



**निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961**  
(कानूनी नियम और आदेश)

7.		का स्थायी खाता संख्या (पी ए एन)	वह जिसमें अंतिम आय-कर विवरण फाइल की गई है	दर्शाई गई कुल आय		
	(क) अभ्यर्थी	AQPT 5127A	2016-2017	2933248		
	(ख) पति/पत्नी	ASSPT 0108 J	लागू नहीं	लागू नहीं		
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
8.	आस्तियों और दायित्वों के रूपों में ब्यौरे					
	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
अ.	जंगम अस्तियां (कुल मूल्य)	6354910/-	700000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
आ.	स्थावर आस्तिया			लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	I स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	80 हजार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	II क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति के विकास/निर्माण की लागत (यदि लागू हो)	25 लाख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	III (क) स्वार्जित आस्तियों (कुल मूल्य) (ख) विरासिती आस्तियों (कुल मूल्य), की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	1 करोड़ 3.75 करोड़ 4.75 करोड़	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(i) सरकार के देय (कुल)			लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	दायित्व जो विवादग्रस्त है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(i) सरकार के देय (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	★ उच्चतम शैक्षिक अर्हता : श्री. ए. ए. ए. ए. के 1971 द्वारा जारी विद्यालय (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें, विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)					

**सत्यापन**

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतवस्तु मेरे सर्वत्र ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई मालिक बात छिपाई नहीं गई है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि :-

(क) पूर्वोक्त भाग अ की मद 5 और मद 6 और भाग आ में उल्लिखित से भिन्न किसी मामले में मैं दोषसिद्ध नहीं हुआ हूँ या कोई मामला मेरे विरुद्ध लंबित नहीं है।

(ख) पूर्वोक्त भाग अ की मद 7 और मद 8 तथा भाग आ के मद 8, मद 9 और 10 में उल्लिखित से भिन्न मेरी, मेरे पति/मेरी पत्नी सा मेरे आश्रित की कोई भी आस्ति या दायित्व नहीं है।

.....स्थान पर आज तारीख...16-01-17...को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पण 1. शपथपत्र, नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन सायं तीन बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र में, शपथ आयुक्त के समक्ष या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभ भरे जाने चाहिए और कोई स्तंभ खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी स्तंभ में कोई सूचना नहीं दी जानी है तो, यथास्थिति, या तो "कुछ नहीं" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र या तो टंकित होना चाहिए या सुपाठ्य और स्पष्टतः लिखित होना चाहिए।

*Spk*  
**Hendra Nath Tripathi**  
**NOTARY**  
District Court, Gkp

*15-1-17*  
**सुब्रत त्रिपाठी**



**Declaration by candidate/election agent/proposer while submitting the photograph of the candidate**

Subject- Election to Uttar Pradesh State Legislative Council (mention the name of the House) from Prakhpur-Fairzabad (name of the constituency) election to Council of States/Legislative Council by Assembly Members.

I Suroat Tripathi (name and address), Son/daughter/wife of Sh Reyeshwar Prasad Tripathi nominated as candidate for the abovementioned election, am submitting herewith my photograph for the purpose of printing the same on the ballot paper, I declare that the photograph has been taken during the last 3 months before the date of notification of election.

(fill up this part when the candidate himself is submitting the photograph)

OR

I \_\_\_\_\_ (name), election agent/proposer of Sh. \_\_\_\_\_, (name and address of the candidate), son/daughter/wife of Sh \_\_\_\_\_ a candidate for the abovementioned election, hereby submit the photograph of the said candidate for the purpose of printing the same on the ballot paper I declare that the photograph has been taken during the last 3 months before the date of notification of election.

(fill up this part when the election agent/proposer is submitting the photograph).

Date 16/1/2017

Name Haji Iqbal  
Address Vishal Khand 3/27  
Tel No. 9519 259187 *connecting your* cell



**Notice by Returning Officer for non-submission of Photograph of the**  
**candidate**

Name of constituency .....  
Name of the candidate .....  
Date and time of filling nomination paper .....  
Sl. No. of nomination paper .....

As per the direction of the Election Commission, photograph of the candidate is required to be printed on the ballot paper.

It is hereby brought to your notice that you have not submitted your photograph for this purpose.

You are required to submit to submit your photograph by 3 P.M. on \_\_\_\_\_ (date fixed for scfutiny of nominations)

The specification for the photograph are as follows:

- (i) Candidates are required to submit their recent photograph (taken during the proceeding period of 3 months before the date of notification).
- (ii) Photograph should be stamp size 2cm X 2.5cm (two cm in breath and 2.5 cm in height) in white/off white background with full face view directly facing the camera natural facial expression with eyes open. The Photo may be in colour or black and white as may be convenient for the candidate.
- (iii) Photo graph should be in normal clothing, Photograph in uniform is not permitted. Caps/hats should be avoided. Dark glasses has also to be avoided.

The Photograph has to be submitted along with the declaration in the enclosed format.

It may be noted that if photograph is not submitted by the time mentioned above, your photo will not be printed on the ballot paper.

Received

.....

(Signature of candidate)

Date & time  
Place

.....

Signature of RO/ARO



भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु. 10



TEN  
RUPEES  
Rs 10

INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समक्ष :-

11AD 563984

निवचिन अधिकारी,  
गोरखपुर फैजाबाद जज्ड स्नातकक्षेत्र  
विधान कोषिदे - उ.प्र.

सिलमन :-

एनेक्सर



Jitendra Nath Tripathi  
NOTARY  
District Court, Gkdp

15-1-17

शपथ कर्ता  
मुवत त्रिपाठी  
मुवत त्रिपाठी



**Additional Affidavit to be submitted by candidates**

Election to ..... MEMBER OF LEGISLATIVE COUNCIL (Name of the House),  
from GORAKHPUR FAIZABAD CONSULTANCY.

I, SUVRATRI PATHI (name of candidate), son/daughter/wife of RAJESHWARI TRIPATHI  
aged 61 years, resident of SOMATI HAQAR LUCKNOW  
a candidate at the above election, do solemnly affirm and state on oath as under :-

(i) I have not been allotted any govt. accommodation at any time during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election .

OR

(ii) I have been allotted govt. accommodation at \_\_\_\_\_ (mention the address of the accommodation) during the period of last 10 years prior of the date of notification of the current election, and there are no arrears of any dues to be paid towards rent for the accommodation or any arrears to the agencies providing electricity, water and telephone at the said accommodation as on \_\_\_\_\_ (the date should be the last date of the 3rd month prior to the month in which the election is announced).

(iii) "No dues certificated" from the agencies concerned are attached hereto.


**VERIFICATION**

I, the deponent abovenamed, do hereby verify and declare that the above statements are correct to the best of my knowledge, and no part of it is false.

Verified at GORAKHPUR this the 15th day of JANUARY 2017

DEPONENT

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*  
**Jitendra Nath Tripathi**  
**NOTARY**  
Distric Court. Gkp

*[Handwritten]* 15-1-17



## ट्रेजरी - चालान

संख्या..... ट्रेजरी/स्टेट बैंक का नाम..... भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर

अभ्यर्थी का नाम	नाम पद व पता जिसकी ओर से	जमा किये जाने का उद्देश्य	धनराशि	लेखाशीर्षक	बैंक के लिए
1	2	3	4	5	6
<p>सुवत लिपार्ह</p>	<p>सुवत लिपार्ह, गोरखपुर फ़ैजाबाद २१००५ स्नातक क्षेत्र विधान परिषद उ.प्र.</p>	<p>गोरखपुर-फ़ैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के सम्बन्ध में जमानत की धनराशि</p>	<p>दस हजार रुपये मात्र ₹ 10,000 = ०० (दो)</p>	<p>8443- सिविल जमा-121-निर्वाचनों के संबंध में जमा-1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मण्डलों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गई धनराशि</p>	

धनराशि शब्दों में

५०५००२६

**भारतीय स्टेट बैंक**  
गोरखपुर - 0086

16 JAN 2017

**R. A. YADAV-6598765**





# कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ

टेली फ़ी नम्बर-18001801950 ई-मेल lucknowadeo@gmail.com दूरभाष -0522-2623739  
रजिस्टर क्रमांक- 19 जारी करने की तिथि- 13-1-2017

## उद्धरण प्रमाणित

राज्य-उत्तर प्रदेश, जिला-लखनऊ, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम... 35. लखनऊ (सामर्थ्य)  
के अर्न्तगत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम... 174- लखनऊ मध्य (सामर्थ्य) के वर्ष... 2017  
मतदान स्थल संख्या व नाम... 320 विद्या पीठ विशाल खण्ड गोकली नगर-  
भाग संख्या... 320 तहसील... लखनऊ विकास खण्ड... X  
नगर/मुख्यग्राम... लखनऊ पंचायत/वार्ड... रफी अहमद फिदकई नगर  
अनुभाग(मुहल्ला/ग्राम)... लखनऊ-3 गोकली नगर थाना... गोकली नगर डाकघर... गोकली नगर  
पिन कोड... 226010 के क्रमांक... 262 से... X तक का निम्न विवरण सत्यापित-

मतदाता क्रमांक	मकान नम्बर	निर्वाचक का नाम	सम्बन्ध	सम्बन्धी का नाम	लिंग	अनुमानित आयु (01.01.2017)	फोटो पहचान पत्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
262	3/279	सुव्रता त्रिपाठी	पिता	स्व. राजेश्वरी प्रसाद	पुरुष	61	XGF0755637

उपरोक्त उद्धरण हेतु आवेदक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, लखनऊ में ट्रेजरी चालान नम्बर... 6020098 दिनांक... 13-1-17 द्वारा रूपये... 13=१० शुल्क जमा किया गया है।

प्रतिलिपिकर्ता के हस्ताक्षर... *on*

मिलानकर्ता के हस्ताक्षर... *&*



उद्धरण प्रमाणित

*13/1/17*  
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी  
लखनऊ



## FORM A

**Communication with regard to Authorised Persons to intimate names of Candidates set up by recognised NATIONAL OR STATE Political Party of Registered UNRECOGNISED political party.**

(See paragraph 13 (c), (d) and (e) of the Election Symbols  
(Reservation and Allotment) Order, 1968)

To,

1. The Chief Electoral Officer,  
Uttar Pradesh (State/Union Territory)

2. The Returning Officer for the  
Gorakhpur - Faizabad Graduate (M.L.C.) Constituency

Subject :- General Election to Legislative Council from ..... (State/Union Territory) -  
Allotment of Symbols - Authorisation of persons to intimate names of candidates.

Sir,

In pursuance of paragraphs 13 (c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order 1968, I hereby communicate that the following person (s) has/have been authorised by the party, which is National Party/State Party in the State of U.P. / Registered Un-recognised Party to intimate the names of the candidates proposed to be set up by the party at the election cited above.

Name of person authorised to send notice	Name of office held in the party	District (s) / area ..... (s) constituency/constituencies in respect of which he has been authorised.
1	2	3
1. Suvrat Tripathi	National President	Gorakhpur.
2.		
3.		



**FORM B**

**Notice as to name of candidate set up by the political party**  
**[See paragraphs 13 (b), (c) and (e) and 13A of the Election Symbols**  
**(Reservation and Allotment) Order 1968]**

To,

The Returning Officer for the  
Gorakhpur - Faizabad (graduate) Constituency.

Subject :- General/bye Election to Legislative Council Gorakhpur - Faizabad graduate From ..... (Name of the  
 Constituency) in U.P. (State/Union Territory) - setting up of  
 candidate.

Sir,

In pursuance of paragraphs 13 (b), (c) and (e) and 13A of the Election Symbols  
 (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby give notice on behalf of Manuvadi Party (Party)

- (i) that the person whose particulars are furnished in columns (2) to (4) below is the approved candidate of the party above named, and
- (ii) the person whose particulars are mentioned in columns (5) to (7) below is the substitute candidate of the party, who will setp-in on the approved candidate,s nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest, if the substitute candidate is still a contesting candidate.

at the ensuing general/bye election from this constituency :

Name of the constituency	Name of the appropved candidate	Father's/ Mother's/ Husband's name of approved candidate	Postal address of approved candidate	Name of the substitute candidate who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest if substitute candidate is still a contesting candidate	Father's / Monther's/ Husband's name of substitute candidate	Postal address of substitute candidate



FORM 'AA'

COMMUNICATION WITH REGARD TO AUTHORISED PERSONS TO INTIMATE NAME OF CANDIDATES SET UP BY THE POLITICAL PARTY

FOR USE AT ELECTIONS TO COUNCIL OF STATES AND LEGISLATIVE COUNCIL

To

1. The Chief Electoral Officer,  
 U.P. (State/Union Territory).

\*2. The Returning Officer for the biennial/bye-election to the Council of States/Legislative Council by Assembly members .....

OR

\*The Returning Officer for the biennial/bye-election from  
 Gorakhpur (Constituency).  
 Graduate

Subject : Biennial/Bye-election to Council of States/ Legislative Council from  
 U.P. (State/ Union Territory-Authorization of person(s) to intimate name(s) of candidate(s).

Sir,

I hereby communicate that the following Person has/have been authorised by Manuvadi Party, which is a National Party/State Party/Registered Unrecognized Party in the State of U.P. to intimate the name(s) of the candidate(s) proposed to be set up by the Party at the election cited above :-

Name of person authorised to send notice	Name of Office held in the party	District(s)/area(s)/Constituency/Constituencies in respect of which he has been authorised
1	2	3
1. <u>Suvrat Tripathi</u>	<u>National President</u>	<u>Gorakhpur</u>
2.		
3.		



2. The specimen signature of the above mentioned person(s) so authorised are given below :

1. Specimen signatures of Shri Suvrat Tripathi  
(i) सुवrat त्रिपाठी (ii) सुवrat त्रिपाठी (iii) सुवrat त्रिपाठी
2. Specimen signatures of Shri .....  
(i)..... (ii)..... (iii).....
3. Specimen signatures of Shri .....  
(i)..... (ii)..... (iii).....

Place .....

Date .....

National President  
Manuvadi Party  
Lucknow, India

सुवrat त्रिपाठी

Yours faithfully

(Name in Capital letters)

President/Secretary

Name of the Party

(Seal of the Party)

3. It is certified that each of the candidates whose name is mentioned above is a member of this political party and his name is duly borne on the rolls of members of this party.

Place .....

Date .....

National President  
Manuvadi Party  
Lucknow, India

हेमंत कुमार

Yours faithfully,

Name (in block letters)

and Signature of the authorised  
Person of the Party

(Name of the Party)

(Seal of the Party)

\* Strike out whichever is not applicable.

\*\*Mention name of Graduates'/Teachers'/Local- Authorities' Constituency, as the case may be.




Name of Constituency***	Name of approved candidate	Father's/ Mother's/ Husband's name of approved candidate	Postal address of approval candidate	Name of the substitute candidate who will step-in on the event of approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or his withdrawal from the contest if substitute candidate is still a contesting candidate	Father's/ Mother's/ Husband's name of approved candidate	Postal address of substitute candidate
1	2	3	4	5	6	7
1. <del>Suvrat</del> Gorakhpur Faizabad 4. etc.	<del>Suvrat</del> Tripathi	Lat. Sni Rajeshwar Tripathi	3/279 Vishal Khand Gomti Nagar Lucknow	X	X	X

2. \* The notice in Form 'BB' given earlier in favour of Shri/Smt./Sushri Suvrat Tripathi ..... as party's approved candidate, and Shri/Smt./Sushri ..... as party's substitute candidate is hereby rescinded.

3. It is certified that each of the candidates whose name is mentioned above is a member of this political party and his name is duly borne on the rolls of members of this party

Place Lucknow  
Date 10-01-2017

  
**H. G. D.**  
**National President**  
**Manuvadi Party**  
**Lucknow, India**  
 Yours faithfully  
 Name (in block letters)  
 and Signature of the authorised  
 Person of the Party  
 (Name of the Party)  
 (Seal of the Party)

\* Strike out whichever is not applicable.  
 \*\* Mention names of Graduates'/Teachers'/Local Authorities' Constituency, as the case may be.  
 \*\*\* Under this column mention name of the Constituency, as 1. By Assembly Member, 2. Graduates'



---

Constituency, 3. Teachers' Constituency, 4. Local Authorities' Constituency, as the case may be.

§ If more than one candidate is to be elected from the Constituency.

**N.B.-**

- 1 This must be delivered to the Returning Officer and Chief Electoral Officer *not later than 3.00 p.m. on the last date for the making nominations.*
- 2 Form must be signed in ink by the office bearer(s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of runner stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
- 3 No Form transmitted by fax shall be accepted.
- 4 Para 2 of the Form must be scored off, if not applicable, or must be properly filled, if applicable.



ANNEXURE V-F

FORM 'AA'

COMMUNICATION WITH REGARD TO AUTHORISED  
PERSONS TO INTIMATE NAME OF CANDIDATES  
SET UP BY THE POLITICAL PARTY

FOR USE AT ELECTIONS TO COUNCIL OF STATES  
AND LEGISLATIVE COUNCIL

To

1. The Chief Electoral Officer,  
U.P. (State/Union Territory).

\*2. The Returning Officer for the biennial/bye-election to the Council of  
States/Legislative Council by Assembly members .....

OR

\*The Returning Officer for the biennial/bye-election from  
Gorakhpur\* - Faizabad (Constituency).

(graduate)

Subject : Biennial/Bye-election to Council of States/ Legislative Council from  
U.P. (State/ Union Territory-Authorization of person(s) to intimate  
name(s) of candidate(s).

Sir,

I hereby communicate that the following Person has/have been authorised  
by Manuvadi Party, which is a National Party/State Party/Registered  
Unrecognized Party in the State of U.P. to intimate the name(s) of the  
candidate(s) proposed to be set up by the Party at the election cited above :-

Name of person authorised to send notice	Name of Office held in the party	District(s)/area(s)/Constituency/ Constituencies in respect of which he has been authorised
1	2	3
1. Suvrat Tripathi	National President	Gorakhpur
2.		
3.		



अनुबंध-Vछ

प्ररुप'खख'

राज्य सभा और विधान परिषद के निर्वाचनों में प्रयोग हेतु राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी के नाम की सूचना

सेवा में

1. सेवा में मुख्य निर्वाचक अधिकारी  
U.P. (राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश)
- \*2. विधान सभा सदस्यों द्वारा राज्य सभा/विधान परिषद के द्विवार्षिक/उप निर्वाचन के लिए रिटर्निंग  
आफिसर,

Gorakhpur-Faizabad (Graduate) या  
\*निर्वाचक क्षेत्र से द्विवार्षिक/उप निर्वाचन के लिए \*रिटर्निंग आफिसर

विषय:- ..... (राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश) से राज्य सभा/विधान परिषद के लिए निर्वाचन- अभ्यर्थियों को खड़ा किया जाना।

महोदय/महोदया,

मैं Manu Vaidya (दल) की ओर से एतद्वारा सूचित करता हूँ कि-

- i) वह व्यक्ति (यों) जिसका (जिनका) विवरण नीचे कॉलम (2) से (4) में दिया गया है, उपर्युक्त दल का अनुमोदित अभ्यर्थी है/हैं, और
- ii) वह व्यक्ति (यों) जिसका (जिनका) विवरण नीचे कॉलम (5) से (7) में दिया गया है, दल का स्थानापन्न अभ्यर्थी है/हैं जो अनुमोदित अभ्यर्थी (यों) के नाम निर्देशन की जांच किए जाने पर उसे रद्द करने अथवा इस निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले साधारण/उप-निर्वाचन वाले राज्य सभा/राज्य विधान परिषद के आगामी द्विवार्षिक/उप निर्वाचन लड़ने से अपना नाम वापिस लेने, की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी का स्थान लेगा यदि स्थानापन्न अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है/हैं:



निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी के पिता/माता/पति का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी का डाक पता	स्थानापन्न अभ्यर्थी का नाम जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम निर्देशन की जांच किए जाने पर उसे रद्द करने अथवा निर्वाचन लड़ने से अपना नाम वापिस लेने की स्थिति में उसका स्थान लेगा यदि स्थानापन्न अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है।	स्थानापन्न अभ्यर्थी के पिता/माता/पति का नाम	स्थानापन्न अभ्यर्थी का डाक पता
1	2	3	4	5	6	7
पु. गौ. ख. पु. के. जा. वा. 3-क-1100	सुव्रत त्रिपाठी	श्री. राजेश कुमार त्रिपाठी	3/279 विशाल नगर, गौ. म. न. ग. ल. (न. न.)	X	X	X
2						
3						
4 आदि						

अधिसूचना संख्या-56/97/जुडिशियल-III, तारीख 15.12.1997 के द्वारा अंतःस्थापित द्वारा किया गया।

2. दल के अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री सुव्रत त्रिपाठी दल के स्थानापन्न अभ्यर्थी के रूप में श्री/सुश्री ..... के पक्ष में पहले प्ररूप 'खख' में दी गई सूचना को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

13. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रत्येक अभ्यर्थी इस राजनीतिक दल का सदस्य है और उसका नाम इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत शामिल है।

सुव्रत त्रिपाठी  
 (दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम (मोटे अक्षरों में और हस्ताक्षर)  
 National President  
 Manuvadi Party  
 Lucknow, India (दल का नाम)  
 (दल की मुहर)

स्थान लखनऊ  
 तारीख 10-01-2017

यदि लागू नहीं होता तो काट दें।

\*\*यथास्थिति स्नातक/शिक्षक/स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का नाम  
 \*\*\* इस स्तंभ के अधीन निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखें, जैसे कि यथास्थिति, (1) विधान सभा सदस्य द्वारा, (2) स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, (3) शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, (4) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र  
 § यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किया जाना है।

टिप्पणी:



गोरखपुर - 119115 (निर्वाचन क्षेत्र) से द्विवार्षिक/उप निर्वाचन के लिए \*रिटर्निंग आफिसर

विषय:- (राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश) से राज्य सभा/विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक/उप निर्वाचन-अभ्यर्थी (र्थियों) के नाम (मों) को सूचित करने के लिए व्यक्ति (यों) का प्राधिकार।

महोदय/महोदया,

मैं एतद्वारा यह सूचित करता हूँ कि भदुवाडी दल, जो कि 3097 राज्य में राष्ट्रीय दल/राज्य दल/ रजिस्ट्रीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल है, द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति (यों) को प्राधिकृत किया गया है जो उपर्युक्त निर्वाचन के लिए खड़े किए जाने वाले प्रस्तावित अभ्यर्थियों के नामों की सूचना देगा/देगें:-

नोटिस भेजने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	दल में धारित पद	जिला(जिलों)/क्षेत्र(क्षेत्रों)/निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसके लिए प्राधिकृत किया गया है
1. <u>सुवत विपाठी</u>	<u>राष्ट्रीय अध्यक्ष</u>	<u>गोरखपुर</u>
2.		
3.		

\* अधिसूचना संख्या-56/97/जुडिशियल-III, तारीख 15.12.1997 के द्वारा शामिल किया गया।

2. उपर्युक्त प्राधिकृत व्यक्ति (यों) के हस्ताक्षर के नमूने नीचे दिए गए हैं:-

1. श्री सुवत विपाठी के हस्ताक्षर के नमूने (i) सुवत विपाठी (ii) सुवत विपाठी

2. श्री सुवत विपाठी के हस्ताक्षर के नमूने (i) सुवत विपाठी (ii) सुवत विपाठी

(iii) सुवत विपाठी

2. श्री.....के हस्ताक्षर के नमूने (i)..... (ii).....

(iii).....

National President  
Manuvadi Party  
Lucknow, India

सुवत विपाठी  
भवदीय/भवदीया,  
(बड़े अक्षरों में नाम)  
अध्यक्ष/सचिव,  
दल का नाम

स्थान.....  
तारीख.....

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी, जिसका नाम ऊपर उल्लिखित है, इस राजनैतिक दल का एक सदस्य है और उसका नाम इस दल के सदस्यों की नामावलियों में सम्यक रूप से विद्यमान है।



National President  
Manuvadi Party  
Lucknow, India

भवदीय लिपार्थ

भवदीय/भवदीया,  
दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम (मोटे अक्षरों में) और  
हस्ताक्षर  
(दल का नाम)  
(दल की मुहर)

स्थान...  
तारीख...10-01-2017

- \*जो लागू न हों उसे काट दें
- \*\*यथास्थिति, स्नातक/शिक्षक/स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का नाम

टिप्पणी:-

1. नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख को 3 बजे अपराह्न से पहले इसे रिटर्निंग आफिसर और मुख्य निर्वाचक अधिकारी को सौंप दिया जाना अनिवार्य है।
2. प्ररूप पर उपर्युक्त पदधारी (पदधारियों) द्वारा स्याही से हस्ताक्षर होने चाहिए। किसी पदधारी के प्रतिकृति हस्ताक्षर अथवा रबड़-मुहर के रूप में किया गया हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होगा।
3. फैंक्स द्वारा भेजा गया कोई प्ररूप स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्ररूप का पैरा 11 यदि लागू न हो तो उसे काट दिया जाना चाहिए या लागू हो तो उसे समूचित रूप से भरा जाना चाहिए।